तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज स्थानान्तरण प्रा0पत्र मु0न0 15/2025 उनवानी प्यारेलाल बनाम सरकार न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
19.1.2026	आज यह पत्रावली पेश हुई। उपखण्डाधिकारी सैपऊ ने अपने पत्रांक कमांक/कोर्ट/25/461 दिनांक 24.12.2025 से टिप्पणी भिजवाई जो शामिल पत्रावली की गई। अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रार्थी श्री प्यारेलाल ने यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में विचाराधीन प्रकरण उनवानी सरकार बनाम प्यारे मु0न0 35/2025 अन्तर्गत धारा 177 आरटी एक्ट को अन्य किसी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थी ने यह कथन किया है, कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी के पास प्रकरण से संबधित कोई नोटिस तामील कुलिन्दा द्वारा या कोई सरकारी कर्मचारी लेकर के नहीं गया है और ना ही कोई तामील करायी है ना ही प्रार्थी ने नोटिस लेने से मना किया लेकिन तामील कुलिन्दा द्वारा फर्जी तरीके से दो गवाहों के हस्ताक्षर करा कर तामील के नोटिस पर यह लिखित हुये कि प्रार्थी द्वारा नोटिस लेने से मना किया और उक्त नोटिस प्रार्थी के मकान पर चस्पा दिखाते हुये पत्रावली में शामिल किया गया जबकि ऐसा कोई नोटिस मकान पर चस्पा नहीं हुआ है। उपरोक्त प्रकरण आराजी खसरा नम्बर 1168 व 1191 की पैमाइश रिपोर्ट पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किये जाने बाबत् तहसीलदार सैपऊ व मौका कमिश्नर भानूप्रताप एडवोकेट को नियुक्त किया जा चुका है लेकिन तहसीलदार सैपऊ दो बार मौके पर जानबूझकर राजनैतिक दबाव में उपस्थित नहीं हुआ है। उपखण्डाधिकारी सैपऊ, नायब तहसीलदार सैपऊ, तहसीलदार सैपऊ, नायब तहसीलदार कौलारी एवं आई.एल.आर. गोपीचंद व कुलदीप एवं हल्का पटवारी राजकुमार द्वारा राजवीर, कम्बोद, किरोरी, प्रमोद, मुरारी से साज कर अनुचित लाभ प्राप्त कर राजनैतिक दबाव में आराजी खसरा नम्बर 1191 की भूमि में दिनांक 21.08.2025 को पुलिस बल के साथ पत्थर गढ़ी कर दी जबकि प्रकरण न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश सैपऊ के समक्ष विचाराधीन है। न्यायालय में श्रीमान सिविल न्यायाधीश सैपऊ के समक्ष आदेश की अवमानना के बाबत् उपखण्डाधिकारी सैपऊ, तहसीलदार सैपऊ, नायब तहसीलदार सैपऊ, नायब तहसीलदार कौलारी एवं आई.एल.आर. व हल्का पटवारी के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन है। इसलिये उक्त प्रकरण की सुनवाई न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ में कराना नहीं चाहा है। क्योंकि प्रार्थी के विरूद्ध तहसील सैपऊ के समस्त राजस्व कर्मचारी एवं उप तहसील सैपऊ के कर्मचारी एवं हल्का पटवारी प्रार्थी से राजनैतिक द्वेष भावना के आधार पर कार्यवाही कर रहे हैं इसलिए प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। तहसीलदार एव नायब तहसीलदार सैपऊ, नायब तहसीलदार कौलारी व पटवारी हल्का ने स्पष्ट रूप से प्रार्थी को धमकी दी है कि प्रार्थी की कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 1191 को सिवायचक दर्ज करा कर मकान को ध्वस्त करा कर छोडेंगे। प्रार्थी को पूरी तरह से उक्त प्रकरण में उपखण्डाधिकारी महोदय सैपऊ द्वारा दबाया और प्रार्थीगण के साथ पक्षपात किया जा रहा है	

जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

इसलिए प्रार्थी को अब यह आवश्यक हो गया है कि उपखण्डाधिकारी महोदय सैपऊ प्रतिवादीगण से पूरी तरह से मिले हुए है और अब प्रार्थीगण को उपखण्डाधिकारी महोदय सैपऊ से न्याय की उम्मीद नहीं है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थीगण का वाद प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानांतरित किये जाने की प्रार्थना की है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। प्राथीगण की ओर से श्री धर्मेन्द्र गुर्जर एडवोकेट ने वकालातनामा पेश किया। अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के सम्बध में कोई लिखित जबाव पेश नही किया गया।

उक्त स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्डाधिकारी सैपऊ की टिप्पणी प्राप्त की गई। उपखण्डाधिकारी सैपऊ ने अपनी टिप्पणी पत्रांक कमांक/कोर्ट/25/461 दिनांक 24.12.2025 मे स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों को अस्वीकार करते हुये कथन किया है, कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा मनगढंत एवं काल्पनिक तौर पर आरोपित कर पेश किया है। उनके द्वारा न्यायिक सिद्वान्तो के अनुसार न्यायहित को सर्वोपरी रखकर उक्त प्रकरण में निष्पक्ष रवैया रखते हुए सुनवाई की है। पीठासीन अधिकारी एवं न्यायिक कार्मिको पर गलत तथ्यों को अंकित कर झूठे आरोपो के आधार पर स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र लगाया जाना न्यायालय की गरिमा व छवि को घात पहुॅचाने वाला है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार की मूल भावना एवं न्यायिक सिद्धान्तो की कार्यवाही को अवरूद्ध करने वाला है। फिर भी यदि उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय में स्थानान्तिरत किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

हमने उपस्थित दोनों पक्षों के अभिभाषको की बहस सुनी व बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं उपखण्डाधिकारी सैपऊ द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश करना स्वीकार किया गया। चूंकि जिस पीठासीन अधिकारी की कार्यशैली पर प्रार्थी ने संदेह व्यक्त कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है उनका स्थानान्तरण हो गया है वर्तमान में नए पीठासीन अधिकारी ने कार्यग्रहण कर लिया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का औचित्य ही समाप्त हो गया। अतः ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर